मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 7–13/2004/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 15 अगस्त, 2013

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
मध्यप्रदेश.

विषयः–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया।

संदर्भः–इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.07.2005 एवं दिनांक 16.07.2008 एवं परिपत्र दिनांक 18.02.2009

—0—

सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों द्वारा अनुसूचित जाति, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में सरलीकृत निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ उक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 11.07.2005 की कंडिका 6.6 में निम्नानुसार निर्देश दिये गये है :–

"स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक से उतने ही दस्तावेज लिये जाएं जिनसे उनके दावे की पुष्टि हो सकें। आवेदन पत्र में उल्लेखित सभी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। इसके अलावा यदि किसी आवेदक के पास वर्ष 1950 (अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 1984) या उससे पहले से मध्यप्रदेश का निवासी होने संबंधी लिखित रिकार्ड नहीं है, तो उसे यह लिखित रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु विवश न किया जाए। राजस्व अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर/कैम्प में, जांच कर आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी की पुष्टि करना चाहिए। इसके लिये आवेदक/संबंधित सरपंच/पार्षद/उस ग्राम, मोहल्ले के सभ्रांत व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए जाना चाहिए और स्वयं की संतुष्टि के बाद स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा करनी चाहिए।"

3/ इसी तारतम्य में विभागीय परिपत्र दिनांक 16.07.2008 की कंडिका 2 में निर्देशित किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व भू–अभिलेख प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं रखी जाए।

4/ जनप्रतिनिधियों तथा अन्य माध्यमों से यह ध्यान में लाया गया है कि कई जिलों में उक्त निर्देशों का पालन नहीं हो रहा हैं, जिससे ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य है और वर्ष 1950 की स्थिति में उनका परिवार मध्यप्रदेश में रहता था किन्तु उनके पास वर्ष 1950 की स्थिति में निवासरत् होने का लिखित राजस्व अभिलेख नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

5/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। समस्त जिला कलेक्टर, अपने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं ऐसे समस्त राजस्व अधिकारी जो जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में शामिल हैं, की बैठक लेकर उन्हें इन निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराते हुए समुचित पालन करने हेतु निर्देशित करें और समय–समय पर समीक्षा भी करें।

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक एफ 7–13/2004/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 14 अगस्त, 2013

प्रतिलिपिः–समस्त संभागीय आयुक्तों की ओर प्रेषित। कृपया अपने संभाग में प्रवास एवं समीक्षा के इस विषय को विशेष रूप से कार्यसूची में रखें।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग